



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1588/2014 जिला : जयपुर

उन्वान मैसर्स फीटजी लिमिटेड, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राज. वृत्त-प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2014	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से यह अपील मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.06.2014 में विवादित मांग राशि रु. 23,89,788/- में से 16,72,134/- पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रु. 7,17,654/- की वसूली पर स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि अपीलार्थी द्वारा जमा करा दी गई है, इसलिए स्थगन का बिन्दु सारहीन हो गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी को निर्देश प्रदान करावे कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपील का निस्तारण करें।</p> <p>विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील स्थगन पर बहस के दौरान अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि जमा कराने का कथन किया गया है परन्तु उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी इस तथ्य की पुष्टि करें और यदि उक्त बकाया स्थगित मांग राशि राजकोष में जमा हो गयी हो तो स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन (Infructuous) होने से खारिज माना जाये तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त स्थिति में आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।                    (मदन लाल)                  सदस्य</p> <p style="text-align: center;">                   (सुनील शर्मा)                  सदस्य</p>	